

श्रीवा रामकृष्ण / स. बलराज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

300/21 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

10/02/25 वादी एवं उसके वकील
उपस्थित नहीं हुए कर्षण 2
कर प्रमाणों दिनांक गई वादी
की तब से कोई उपस्थित नहीं
प्राप्त। सुभय अदालत बीसमात्र
पर ही फलतः वादी की उपस्थिति
दण की जाकर वादी का वाद
प्रथम हाजिरी प्रथम पैरवी में
समाप्त किया जाता है।
पचास तदनुसार निवेदि
ले कर सादर कपी ल जमा
प्रतिकरवालय वादी को

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (सैरथल-तिजारा) राज०